2015/00177

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 01/2015

बमुक : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
.....प्रार्थी

बनाम

1–रामरूप 2–जोगेन्द्र 3–सन्तोष 4–महावीर पुत्रगण भीकमसिह 5–रामवती पत्नी रामनिवास 6–घूरे 7–कल्याण 8–गजेन्द्र पुत्रगण रामनिवास 9– मंजू 10–आसवती पत्नी रामनिवास जाति ठाकुर निवासी ग्राम केंथरी 11–संतोदेवी पत्नी रामवीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम केंथरी 12–मुन्नालाल 13–शिवकान्त पुत्रगण श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी केंथरी तहसील सैपऊ

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

25.5.2018 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रजौराखुर्द पर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैफ्फ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा स्थित ग्राम केंथरी तहसील सैफ्फ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी की भूमि है । उक्त आराजी में से 14 विस्वा भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये अप्रार्थी संख्या 12 व 13 ने अवैध रूप से मकान बना लिये है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत उक्त आराजी में से 14 विस्वा भूमि से अप्रार्थीगण बेदखल किये जाने योग्य है । अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार सैफ्फ की अदालत से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 17.9.2015 से बेदखली किये जाने का निर्णय पारित किया जा चुका है ।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 12 व 13 ने जबाब प्रार्थना इस आशय का प्रस्तुत किया कि यह जमीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रभाव में आने से पूर्व ही प्रार्थीगण के पूर्वजों से क्रय की थी तथा तभी से मकान बने हुए है जिस पर धारा 177 लागू नहीं है । इसके बाद उन्होने नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें नामा0 संख्या 1552 दिनांक 10.7.2017 का नोट इस प्रकार लगा है कि वयनामा से खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा पर रामरूप , जोगेन्द्र, सतोष, महावीर पिसरान भीकमसिंह हिस्सा वरावर 4/7, रामवती पत्नी रामनिवास, मंजू, आसवती, जससोदा पुत्रीयान रामनिवास , घूरे, कल्यान पुत्रान रामनिवास हिस्सा बराबर 6/49 जाति ठाकुर के बजाय हरीसिंह पुत्रश्री जसराम जाति ठाकुर, अजयकान्त शर्मा पुत्रश्री मुन्नालाल शर्मा जाति ब्राह्मण हिस्सा बराबर 34/49 निवासी ग्राम केंथरी स्वीकार हुआ । उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट की मूल खातेदारों द्वारा विवादित आराजी का अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया है । पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 9.11.2015 अनुसार खातेदार एवं अतिक्रमियों को पूर्व में ही बेदखल किया जा चुका है । इसलिए अब इस प्रकरण को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।